मुंबई पत्तन प्राधिकरण

दिनांक 11 जनवरी 2024 को आयोजित बैठक संख्या 11 में बोर्ड के संकल्प

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	परित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
1.	191	सैनी हेवी इंडस्ट्री इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट कार्गो के आयात शिपमेंट के लिए नि:शुल्क अवधि का विस्तार.	बोर्ड ने नोट के पैरा 17 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	यातायात
2.	192	24 नवंबर 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक संख्या 9 के कार्यवृत्त की पुष्टि.	बोर्ड ने 24 नवंबर 2023 को आयोजित बोर्ड के बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की.	सामान्य प्रशासन
3.	193	13 दिसंबर 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक संख्या 10 के कार्यवृत्त की पुष्टि.	बोर्ड ने 13 दिसंबर 2023 को आयोजित बोर्ड के बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की.	सामान्य प्रशासन
4.	194	एमआईसीटी में अतिरिक्त 6 इमिग्रेशन काउंटरों की खरीद.	बोर्ड ने नोट के पैरा 12 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
5.	195	लोह एवं इस्पात कार्गो के आयात/तटीय खेप के लिए रियायती भंडारण का विस्तार.	बोर्ड ने नोट के पैरा 10 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
6.	196	एम.वी. कोस्टा सेरेना का माननीय मंत्री और अन्य वीवीआईपी के साथ दिनांक 3.11.2023 को आगमन.	बोर्ड ने नोट के पैरा 4 में यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को मंजूरी दी और निर्णय लिया कि जहाज को बीपीएक्स से स्ट्रीम तक और वापस बर्थ पर स्थलांतरित करने के शुल्क को पोर्ट सुविधा के रुप में माना जाएगा और स्थलांतरण शुल्क माफ कर दिया जाएगा.	यातायात
7.	197	दिनांक 19.12.2023 से दिनांक 25.12.2023 तक की अवधि के लिए 146435 मीट्रिक टन, एचआर/सीआर कॉइल्स की मुंबई पत्तन/ओसीटी बर्थ पर लोडिंग के लिए मुंबई पत्तन पर आने वाले अपने 06 निर्यात कार्गो जहाजों के लिए आगमन पर या प्राथमिकता पर या अधिकतम 03 दिन की प्रतिक्षा पूरी होने के बाद सीधे बर्थिंग के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील का अनुरोध.	बोर्ड ने नोट के पैरा 9 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	परित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
8.	198	बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट वेयरहाउस उपनियमों को निरस्त करना.	बोर्ड ने बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट वेयरहाउस उपनियमों को निरस्त करने के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
9.	199	ओसीटी पर जाहाजों की बर्थिंग - मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)	बार्ड ने नोट के पैरा 20 पर दिनांक 31.12.2024 तक सुधारों के साथ एसओपी के विस्तार सहित यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
10.	200	निविदा संख्या 65/2023 - तरल बल्क/पीओएल की सम्हलाई हेतु टैंकेज की स्थापना के लिए पीरपाऊ (पुराने पीरपाऊ बर्थ के पास) में त्रिकोणीय भूखंड को खुली निविदा-सह नीलामी के माध्यम से दीर्घ कालिक पट्टे पर आबंटन के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) - प्रस्ताव की स्वीकृति.	बोर्ड ने एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के आरक्षित मूल्य रु.22,760 प्रति वर्ग के ऊपर रु. 34 प्रति वर्ग मीटर की बोली के प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए निविदा समिति की सिफारिशों के लिए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य
11.	201	निम्नलिखित पर अनुशंसा हेतु समिति का गठन - (i) भूमि के एसओआर को उपभोग की गई एफएसआई से जोड़ना, और (ii) नवीकरण और पुनर्विकास के लिए मानदंड की जांच करना - एफएसआई समिति की समिति रिपोर्ट का मसौदा जमा करने के लिए समय अवधि को दि.31.1.2024 तक बढाना.	बोर्ड ने एफएसआई समिति की समयावधि दिनांक 31.1.2024 तक बढाने के संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	संपदा
12.	202	मुंबई पत्तन प्राधिकरण अस्पताल के लिए निजी अस्पताल, कैंसर अस्पतालों, नेत्र अस्पतालों, डायग्नोस्टिक और इमेजिंग केंद्रों का पैनल बनाने के लिए एसओपी.	बोर्ड ने नोट के पैरा 3 में दिये गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	चिकित्सा
13.	203	मुंबई पत्तन प्राधिकरण के मरीजों को क्रेडिट आधार पर उपचार प्रदान करने के लिए जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पैनल अवधि का विस्तार.	बोर्ड ने नोट के पैरा 10 में दिये गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	चिकित्सा

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	परित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
14.	204	फ्लेमिंगो ड्यूटी फ्री शॉप प्राइवेट लिमिटेड का विस्तार के लिए अनुरोध - मुंपप्रा के मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल (एमआईसीटी) पर ड्यूटी फ्री शॉप स्थापित करने के लिए लाइसेंस के आधार पर क्षेत्र के आबंटन के लिए निविदा - निविदा संख्या.टीएम/आयडी/ 05/ 2017	बोर्ड ने नोट के पैरा 22 में दिये गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया और निर्णय लिया कि 6 महीनों तक का नामांकन के आधार पर विस्तार का अधिकार अध्यक्ष को सौंपा जाएगा.	यातायात
15	205	महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की तुलना में महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत बनाए गए विभिन्न विनियमों/नियमों/उपनियमों आदि की जांच करने/सलाह देने और मासौदा तैयार करने के लिए निविदा संख्या एसईसीवाई (एलडी) - 1/2023 - निरस्त किए जाने वाले विनियम.	बोर्ड ने उप संरक्षक के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया (i) यात्री नाव नियमों को निरस्त करना. (ii) पायलटेज उपनियमों को निरस्त करना.	समुद्री
16	206	मुंबई पत्तन प्राधिकरण के क्षेत्र में पटाखों के उपयोग के लिए, एसओपी (मानक प्रचालन प्रक्रिया)	बोर्ड द्वारा उप संरक्षक के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया - (i) मुंबई पत्तन प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में आतिशबाजी के प्रयोग के लिए एसओपी. (ii) मुंबई पत्तन प्राधिकरण में पटाखों के प्रयोग के लिए एसओपी. (iii) पटाखों के प्रयोग के लिए अनुमति प्रपत्र. (iv) पटाखों के प्रयोग के लिए गैर-वापसी योग्य राशि जीएसटी को छोड़कर रु2,00,000 प्रति घंटा ली जाएगी.	समुद्री

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	परित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
17	207	निविदा संख्या: ई-27/2022 के तहत दोषी ठेकेदार को काली सूची में डालना/विवर्जित करना : बिल्डिंग सं.11, 12, 18, 19, 26 और 27 (6 बिल्डिंगे), पुरानी कॉलनी, नाडकर्णी पार्क, वडाला, जीडब्ल्यूएनडी की ध्वस्त सामग्री की खरीद, विध्वंस और उसे हटाना.	बोर्ड ने मुंपप्रा के साथ किसी भी लेनदेन के संचालन के लिए दो साल की अवधि के लिए ए-1 एंटरप्राइजेज, मुंबई फर्म को विवर्जित/काली सूची में डालने के लिए पैरा 8 में दिये गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य
18	208	निविदाओं, प्राक्कलनों और संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए सलाहकार की नियुक्ति.	बोर्ड ने नोट के पैरा 2 में दिए गए वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	वित्त
19	209	मुंबई पत्तन प्राधिकरण के 13बी इंदिरा गोदी पर 60 मीट्रिक टन क्षमता धर्म काँटा (वेह ब्रिज) के संचालन और रखरखाव के लिए बुथेलो ट्रैवल्स के लाइसेंस का 6 महीने का विस्तार.	बोर्ड ने नोट के पैरा 13 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
20	210	ए टू जेड एक्झिम के बकाया राशि की वसूली के लिए निर्णायक मंडल के समक्ष आवेदन भरना.	बोर्ड ने नोट के पैरा 10 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
21	211	निविदा सं. एमईईडी. 19/2023- पीरपाऊ टर्मिनल पर अग्निशमन सुविधाओं का संवर्धन - नए फायर वॉटर पंप हाउस से संबंधित यांत्रिकी और विद्युतीय कार्य प्रस्ताव की स्वीकृति और संविदा प्रदान करना.	बोर्ड ने नोट के पैरा 8 में दिए गए मुख्य यांत्रिकी अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी
22	212	उच्च न्यायालय, सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार (ओओसीजे) वर्ष 2022 की रिट याचिका संख्या (एल) 33250 - मेक इंडिया इम्पेक्स, मालिक राजेश नखुआ का स्मामित्व वाद बनाम भारतीय संघ और पाच अन्य - मेक इंडिया इम्पेक्स का दिनांक 21.8.2023 और 4.9.2023 का अभ्यावेदन.	बोर्ड ने यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को निम्नानुसार सुधारों के साथ मंजूरी दे दी: (i) मुंपप्रा परामर्शदाता की सलाह के अनुसार कार्गो संबंधी प्रभारों के परिकलन के लिए एकल पोत समापन तिथि (वीसीडी) लागू करना. (ii) आयातक को बोर्ड के निर्णय की सूचना की तिथि तक एम.वी रुबी के अरहर दाल और सोयाबीन कार्गो पर	यातायात

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	परित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
			लागाए गए विलंब शुल्क पर 92% की छूट देना. (iii) आयातक को बोर्ड के निर्णय की सूचना की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कार्गो को खाली करने की अनुमति दी जा सकती है. सुपुर्दगी के लिए अनुमत 02 महीने अवधि के लिए विलंब शुल्क 100% माफ कर दिया जाएगा. (iv) आयातक को पत्तन से सूचना प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर, बोर्ड के निर्णय की पुष्टि और अनुपालन करना होगा. यह अवधि सुपुर्दगी के लिए अनुमत दो महीने की अवधि में शामिल है. (v) उपरोक्त (iii) और (iv) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में, निम्नलिखित कार्रवाई शुरु की जाएगी: (ए) आयातक को दी गई छूट/रियायत वापस ले ली जाएगी और सुपुर्दगी के लिए दिए गए 2 महीने की समाप्ति के बाद उच्चतम स्लैब पर विलंब शुल्क लगाया जाएगा. (बी) आयातक प्रचलित दरमान के अनुसार उल्लिखित दरों पर दरों/ प्रभारों / विलंब शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.	

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	परित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
			(सी) उक्त खेप को नियत प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. (डी) नष्ट करने के लिए सीमा शुल्क के आदेशों के मामले में, कार्गों को तदनुसार नष्ट कर दिया जाएगा और नष्ट करने के प्रभारों को तदनुसार वसूल किया जाएगा. (vi) आयातक ने पत्तन के आग्रह के अनुसार दोहरी वीसीडी पर विचार करते हुए विलंब शुल्क पर जीएसटी सहित 12.23 करोड़ रुपये के पत्तन प्रभार का भुगतान कर अरहर दाल की खेप हटा दी थी. जीएसटी को छोड़कर पत्तन के पास उपलब्ध राशि रु.10,41,52,152 है (रु.31,67,143 भंडारण + रु.10,09,85,009 विलंब शुल्क के रूप में). (vii) जीएसटी का भुगतान पहले ही किया जा चुका है (रु,1,81,77,302) और पत्तन ने अरहर दाल पर विलंब शुल्क के लिए वसूली गई राशि पर जीएसटी पहले ही जमा कर दिया है. आयातक को जीएसटी वहन करना होगा. जीएसटी के कारण कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा.	

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	परित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
			(viii) वित्त विभाग वसूल किए जाने वाले भुगतान की तुलना में प्राप्त भुगतानों का मिलान करेगा. कमी, यदि कोई हो तो उसका भुगतान आयातक को करना होगा. उपरोक्त (iii) में बताए अनुसार सुपुर्दगी के लिए 2 महीने की अवधि पूरी होने पर बोर्ड के निर्णय के अनुसार भेजी गई सही राशि बोर्ड को सूचित की जाएगी. (ix) मामले को पूर्व -उदाहरण नहीं माना जाएगा. (x) आयातक उक्त लेनदेन के लिए मुंपप्रा के खिलाफ कोई मुकदमा (अपील/समीक्षा/ सुलह की याचिका को छोड़कर) दायर नहीं करेगा. इस आशय का एक वचन-पत्र, ऊपर (iv) के संदर्भ में पुष्टि के साथ, आयातक द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा.	
23	213	27 अक्तुबर 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट.	बोर्ड ने 27.10.2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया.	सामान्य प्रशासन

11.Pro 11 January 2024\actiontaken20240111(Hindi).doc